



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक:एफ1(2070)आ.उ./पीएडी अनु./सं.नि./2010

दिनांक: 18-10-2017

::आदेश::

उद्योग विभाग में कार्यरत निम्नलिखित उद्योग अधिनस्थ सेवा के राजपत्रित अधिकारियों को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या-6 में अंकित दिनांक को मध्याह्न पश्चात से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है। सेवानिवृत्ति दिनांक को संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/जिला स्तरीय अधिकारी अपने स्तर से कार्यमुक्ति आदेश जारी करेंगे।

क.सं.	नाम कर्मचारी	पदनाम	पदस्थापन	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री रामावतार शर्मा	जिला उद्योग अधिकारी,	जि.उ.के. जयपुर (शहर)	16.02.1958	28.02.2018
2.	श्री सत्येन्द्र कुमार	जिला उद्योग अधिकारी,	जि.उ.के. धौलपुर	04.04.1958	30.04.2018
3.	श्री राजेशानन्दन	जिला उद्योग अधिकारी,	जि.उ.के. झालावाड	07.07.1958	31.07.2018
4.	श्री मो० सिराज खान	जिला उद्योग अधिकारी,	जि.उ.के. भीलवाडा	15.07.1958	31.07.2018

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम - 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम - 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उपरोक्त अधिकारियों के राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त करना आवश्यक होगा।

(कुंजीलाल शर्मा)
अयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, (सीएसआर)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, उद्योग (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिल्लतीय सलाहकार, उद्योग (मुख्यालय)।
4. संयुक्त निदेशक, उद्योग (विभागीय पदोन्नति/ए.सी.आर./सतर्कता/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
5. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, (सगस्त) को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश में वर्णित जन्मतिथि व सेवानिवृत्ति तिथि की जांच संबंधित अधिकारी के सेवानिवृत्ति से कर लेवे। यदि कोई संशोधन अपेक्षित हो तथा किसी अधिकारी का नाम उक्त आदेश में अंकित होने से रह गया हो तो सूचना इस आदेश के जारी होने के 15 दिवस की अवधि में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से सूचित करें ताकि वांछित संशोधन किया जा सके।
6. उप विधि परामर्शी, उद्योग (मुख्यालय)
7. कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर/धौलपुर/भीलवाडा/झालावाड।
8. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, सचिवालय, जयपुर/धौलपुर/भीलवाडा/ झालावाड।
9. संबंधित अधिकारी।
10. पेंशन लिपिक (मुख्यालय)
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, उद्योग